Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.
Supply Revision Case No.- 09/2026

Fulchand Mandal ..... Petitioner.

Versus

The State of Bihar & Anr. ..... Opposite Parties.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	22.8.26	**आदेश** प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक–346 दिनांक–04.09.2018 के आलोक में समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–122/2022 में दिनांक–08.03.2022 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। **मामले का सारांश यह है कि :–** • आवेदक जन वितरण प्रणाली विक्रेता थे, जिसका अनुज्ञप्ति सं0–84/2016 था। • दिनांक–03.07.2018 को सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धमदाहा के द्वारा आवेदक के जन वितरण प्रणाली विक्रेता दुकान की जाँच की गई थी, जिसमें निम्न प्रकार की अनियमितता पाई गई थी :– 1. किरासन तेल के भंडार पंजी में माह जून में किरासन तेल का उठाव की प्रविष्टि नहीं किया जाना तथा भंडार पंजी का संधारण अद्यतन नहीं किया जाना। 2. दुकान में लाभुकों की सूची नहीं पाया जाना। 3. पी0एच0एच0 लाभुकों को इकाई के अनुसार कम खाद्यान्न दिया जाना। 4. निरीक्षण पंजी एवं शिकायत तथा सुझाव पंजी संधारण नहीं किया जाना। 5. मापक उपकरण की विधिमान्यता समाप्त हो जाना। 6. माह मई एवं जून 2018 में भागो देवी कार्ड सं0–20000041, मंजू देवी कार्ड सं0–20000073, वंदना कुंमारी कार्ड सं0–20000033 एवं संजू देवी कार्ड सं0–20000035 में किरासन तेल की प्रविष्टि नहीं किया जाना। • उपरोक्त आरोपों/अनियमितता के संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी –सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, धमदाहा द्वारा आवेदक से कारण–पृच्छा की गई। जिसके आलोक में आवेदक द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा जाँच पदाधिकारी द्वारा उल्लेखित आरोपों का मात्र प्रतिवाद किया गया। लाभार्थियों के आरोप के आलोक में कोई तथ्य तथा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। अतएव अनुमंडल पदाधिकारी के स्तर से आवेदक से उनके कार्यालय पत्रांक–321 दिनांक–16.08.2018 द्वारा पर्याप्त साक्ष्य के साथ द्वितीय स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु पर्याप्त समय देने के बावजूद आवेदक द्वारा साक्ष्य के साथ द्वितीय स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया।	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

- आवेदक द्वारा द्वितीय स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किये जाने के आलोक में अनुज्ञापन पदाधिकारी के स्तर से ज्ञापांक–346/आ0, दिनांक–04.09.2018 के द्वारा आवेदक पर लगाये गये आरोपों को स्वतः प्रमाणित मानते हुए अनुज्ञप्ति सं0–84/2016 को बिहार लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 25 के (ख), (ध) में निहित प्रावधान के आलोक में रद्द किया गया।
- उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष आपूर्ति अपील वाद संख्या–122/2022 दायर किया गया, जिसमें समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी–सह–अनुज्ञापन पदाधिकारी, धमदाहा के स्तर से आदेश पारित होने के 03 वर्ष के बाद अपील वाद दायर करने के आलोक में तथा विलंब का कारण संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण प्रविष्टि के बिन्दु पर ही वाद की कार्यवाही समाप्त की गयी। उक्त वाद में पारित आदेश के आलोक में आवेदक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में प्रश्नगत वाद दायर किया गया है।

आवेदक का कथन है कि :–

- उनके द्वारा वर्ष 1995 से जन वितरण दुकान का सफल संचालन किया जाता रहा है।
- दिनांक–03.07.2018 को सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, धमदाहा के स्तर से समर्पित प्रतिवेदन में बिना किसी दस्तावेजीय साक्ष्य के आधार पर ही सिर्फ मौखिक साक्ष्य के आलोक में उनके विरूद्ध आरोप लगाया गया। जिसके आलोक में उनके द्वारा संबंधित आरोपों के संदर्भ में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा अपने विरूद्ध लगाये गये सभी 06 आरोपों का खंडन निम्नांकित प्रकार से किया गया:–
  1. किरासन तेल के भंडार पंजी में माह, जून के किरासन तेल का उठाव प्रविष्ट था तथा वितरण नियमित रूप से अद्यतन संधारित किया जाता है।
  2. दुकान में लाभुकों की सूची उपलब्ध है।
  3. पी.एच.एच. लाभुकों को निर्धारित 02 किग्रा0 गेहूँ, 03 किग्रा0 चावल प्रति ईकाई आपूर्त्ति की जाती है। राशन कार्ड पर भी प्रविष्ट किया जाता है।
  4. निरीक्षण एवं शिकायत पंजी का संधारण किया जाता है।
  5. मापक उपकरण की विधिमान्यता समाप्त होने पर नवीकरण हेतु कार्यालय में जमा है।
  6. वर्णित लाभुकों को किरासन तेल की आपूर्त्ति नहीं की गई, जिससे कार्ड पर प्रविष्ट नहीं किया गया था। अब किरासन तेल की आपूर्त्ति कर कार्ड पर प्रविष्ट किया जा चुका है।
- उपरोक्त स्पष्टीकरण पर सक्षम प्राधिकार के स्तर से विचार किये बिना ही उनके अनुज्ञप्ति को रद्द किया गया।
- उपरोक्त आदेश के विरूद्ध उनके द्वारा समाहर्त्ता, पूर्णिया के न्यायालय में आपूर्त्ति अपील वाद सं0–122/2022 दायर किया गया, जिसे समाहर्त्ता के स्तर से Limitation के बिन्दु पर ही खारिज कर दिया गया।

आयुक्त न्यायालय ★ पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया ★

आवेदक के द्वारा समर्पित दस्तावेजों की सूचीः–

1. अनुज्ञप्ति आदेश दिनांक–18.09.1995 की छायाप्रति।
2. अनुज्ञप्ति सं0–84/2016 के नवीकरण से संबंधित कागजातों की छायाप्रति।
3. सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, धमदाहा द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति।
4. विधिक माप–विज्ञान नियंत्रक कार्यालय द्वारा दिनांक–14.10.2019 को निर्गत सत्यापन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. वादी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की छायाप्रति।
6. अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा द्वारा वादी से पूछे गये द्वितीय स्पष्टीकरण की छायाप्रति।
7. समाहर्त्ता, पूर्णिया द्वारा आपूर्ति अपील वाद सं0–122/2022 में पारित आदेश दिनांक–08.03.2022 की छायाप्रति।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरान्त यह स्पष्ट होता है कि आवेदक के अनुज्ञप्ति संख्या–84/2016 को बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के कंडिका 25 के (ख), (ध) में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक–04.09.2018 को रद्द किया गया। आवेदक द्वारा विधिक माप विज्ञान कार्यालय से दिनांक–14.10.2019 को निर्गत सत्यापन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न की गई है। चूँकी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी धमदाहा द्वारा दिनांक–03.07.2018 को आवेदक के दुकान की जाँच की गई थी इसलिए आवेदक द्वारा समर्पित सत्यापन प्रमाण–पत्र जो जाँच के एक वर्ष बाद की है, प्रासंगिक नहीं रह जाती है।

उपरोक्त के आलोक में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, धमदाहा द्वारा दिनांक–03.07.2018 को जाँच में पाये गये अनियमितता के संबंध में लाभुकों के बयान संबंधी साक्ष्य का सम्यक विश्लेषण आवश्यक है। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा वाद संख्या–122/2022 में दिनांक–08.03.2022 के पारित आदेश को Set aside किया जाता है।

अतः उपरोक्त के आलोक में प्रस्तुत वाद समाहर्त्ता, पूर्णिया को विधिवत सुनवाई करते हुए तार्किक एवं मुखर आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित की जाती है। उपरोक्त आदेश के साथ इस अपीलवाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश की प्रति LCR सहित निम्न न्यायालय को भेजें।

लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय ★ पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया ★